19 जुलाई, 1991 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों के सहयोग से मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन 77.46 लाख मीटरी टन गेहू की वसूली की है जबकि पिछले समूचे रबी विपणन मौसम, 1990–91 के दौरान 110.74 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी ।

मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और किसानों द्वारा बिक्री के लिये पेश किये गये उचित औसत किस्म के समस्त स्टाक को भारतीय खाद्य निगम/राज्य की एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाता है । किसान अपनी पैदावार सरकार द्वारा निर्धारित किये गये समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खुले बाजार में बेचने के लिये स्वतंत्र है ।

920. *[Transferred to 30th July,* 1991]

Starvation deaths in Orissa

921. SHRI RAM JETHMALANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the "Times of India"' dated the 11th July, 1991 under the caption "Starvation deaths in Orissa confirmed";

(b) if so. whether Government had set up a judicial commission to look into the starvation deaths in the Kalahandi and Bolangir districts of Orissa during past year and the Commission has submitted it? report to Government;

(c) if so. the findings thereof; and

(d) whether Government have taken any steps *to* check the recurrence of such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes. sir.

(b) and (c) Neither Central Government nor State Government of Orissa had set up any Judicial Commission. However, Orissa High Court had appointed a one man Commission to enquire into the allegation of starvation deaths and exploitation of tribals by landlords in 'Kalahandi and Bolangir Districts of Orissa during the past five years arising out of public interest litigation. The Commission has submitted its report to Orissa High Court.

(d) Various development programmes like Integrated Rural Development Programme, Jawahar Rozgar Yojana, National Drinking Water Mission including Accelerated Water Supply Programme and Drought Prone Area Programme are being implemented to improve the socio-economic condition of the rural masses.

तिलहनों का उत्पादन

922. श्री रणजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले वर्ष के दौरान तिलहनों का उत्पादन गत वर्षों की अपेक्षा अधिक हुआ है;

(ख) क्या उत्पादन 18.5 मिलियन टन आंका गया है ;

(ग) यदि हां, तो तिलहनों के अधिक उत्पादन के कारण देश में खाद्य तेल आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और उनके मूल्य कम हो गये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि उत्पादन अधिक होने के बावजूद उपभोक्ता खाद्य तेलों के मूल्यों से लाभान्वित नहीं हो पाये हैं ; और

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये अधिक उत्पादन के लाभ उत्पादकों और उपभोक्ताओं को दिलाने हेतु तेल नीति में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिये आवश्यक

कदम उठायेगी ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1990–91 के दौरान मोटे तौर पर तिलहनों का 19.1 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ी है । लेकिन, अब भी स्वदेशी उपलब्धता तथा कुल मांग में अन्तर है । खाद्य तेलों में वृद्धि के कारण हैं– तेल के उत्पादन के लिये आदानों की लागत में वृद्धि, परिवहन के भाड़े में वृद्धि, खाद्य तेलों की घरेलू मांग तथा स्वदेशी सप्लाई में अन्तर जिसे आयात के जरिये पूरा नहीं किया जा सका, जमाखोरी की शक्तियां, धन सप्लाई में बढ़ोतरी , और अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति ।

(ङ) तिलहनों तथा खाद्य तेलों संबंधी समेकित नीति में उत्पादकों को अधिक उत्पादन के लिये लाभकारी मूल्य दिलाना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्य तेल दिलाना शामिल है । वर्तमान नीति में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच ताल-मेल बैठाने का प्रयास निहित है । उपभोक्ताओं को और अधिक राहत देने के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा धारा ब्रांड खाद्य तेल की बिक्री में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

रेलवे द्वारा जारी किये गये पास

923. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में रेलवे द्वारा जारी कितने पास प्रचलन में है ;

(ख) उनमें से कितने पास क्रमश: स्वतंत्रता सेनानियों, संसद सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य कार्यकर्ताओं एवं रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष इन पासों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किये जाने का मामला आया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय जारी किये गये मानार्थ कार्ड पासों से है । 20–7–1991 को वैध मानार्थ कार्ड पासों की संख्या 139 है ।

(ख) मौजूदा मार्ग-निर्देशों/प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर इस तरह के मानार्थ कार्ड पास जारी किये जाते हैं जिसके अन्तर्गत मोटे तौर पर जाने माने व्यक्ति और अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे संगठन आते हैं । अत: जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये पास जारी किये गये हैं उनका ब्यौरा देना कठिन होगा । स्वतंत्रता सेनानियों, आसन्न संसद सदस्यों और रेल कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न किस्म के पास जारी किये जाते हैं और ये पास उपर्युक्त पासों में शामिल किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

तिलहनों और दलहनों के लिए बीजों की नई किस्म और नई प्रौद्योगिकी

924. **डा० जितेन्द्र कुमार अंन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में नई तकनीकों के साथ तिलहनों और दलहनों की अधिक उपज देने वाली बीजों की नई किस्म का विकास किया है ;